Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to provide old age/family pension to the beneficiaries on the basis of 2011 census.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान लोक हित से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करना चाहती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर सहित बिहार राज्य में सरकार द्वारा गरीब वृद्ध व्यक्तियों को दी जाने वाली वृद्ध पेंशन एवं पारिवारिक लाभ की योजना से वंचित हो रहे हैं। वर्तमान में सरकारी नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को ही वृद्ध पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो और उनका नाम बी.पी.एल. सूची में शामिल हो। इसी प्रकार पारिवारिक योजना लाभ के तहत किसी भी परिवार के मुखिया, जिसकी उम्र 60 वर्ष के नीचे हो, की मृत्यु हो जाने के पश्चात उस परिवार के आश्रितों को 20 हजार रुपये की मदद प्रदान की जाती है। बी.पी.एल. सूची में शामिल लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल पाता है, जबकि प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड सहित सरकार की गरीब के लिए कई जनहित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एस.सी.सी. वर्ष 2011 के सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना 2011 की सूची के आधार पर दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में उपरोक्त सभी योजनाओ का लाभ गरीबों को बी.पी.एल. सूची के आधार दिया जाता था, परन्तु बी.पी.एल. सूची के निर्धारण में व्याप्त गड़बड़ी को देखते हुए संशोधन किया गया।

अत: सदन के माध्मय से सरकार से अनुरोध है कि सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की तरह वृद्धावस्था पेंशन एवं पारिवारिक लाभ योजना की सुविधा एससीसीसी, 2011 के समाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना वर्ष 2011 की सूची के आधार पर गरीबों को दी जाए और जो बचे हुए लोग हैं, उनको शामिल किया जाए, क्योंकि वे हतोत्साहित हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष:

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और

डॉ० कुलमणि सामल को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी- उपस्थित नहीं हैं।